क्रम-संख्या–113

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 21 जुलाई, 2025

आषाढ़ 30, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2

संख्या 13/81-2–2025-29(13)-2025
लखनऊ, 21 जुलाई, 2025

अधिसूचना

प0आ0–118

चूँकि नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम संख्या 16 सन् 1927) के अधीन 'संरक्षित वन' के रूप में घोषित किये जाने के लिये प्रस्तावित की गयी है;

और, चूँकि, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यह परीक्षण कर लिया गया है कि पूर्वोक्त भूमि को संरक्षित वन के रूप में घोषित कर किसी भी व्यक्ति के अधिकारों को वंचित नहीं किया जा रहा है;

अतएव, अब, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि को इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से 'संरक्षित वन' घोषित करती हैं और यह भी अधिसूचित किया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित किन्हीं नियमों के अधीन समस्त ऋतुओं में उक्त भूमि पर प्रदत्त समस्त अधिकार और विशेषाधिकार अबाध रूप से जारी रहेंगे।

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	सीमा विवरण
1	2	3	4	5	6	7
सोनभद्र	ओबरा	अगोरी	जोगईल	5380ख मि 5381मि 5382क मि 5384 5385ख	2.4353 0.3461 10.9227 0.5411 1.3218	**उत्तर**– गाटा संख्या–5380, 5381, 5382, 5384, 5385 का शेष भाग। **दक्षिण**– गाटा संख्या–5852, 5834,

1	2	3	4	5	6	7
						5829, 5826, 5827, 5825, 5886, 5386, 5821 और गाटा संख्या–5382 का शेष भाग। **पूरब**– गाटा संख्या–5382, 5381 और 5385 का शेष भाग और गाटा संख्या–5827, 5386, 5387, 5388, 5389 **पश्चिम**– गाटा संख्या–5380, 5381, 5382, 5384 का शेष भाग और गाटा संख्या–5826, 5821
				योग	**15.567**	

आज्ञा से,
अनिल कुमार,
प्रमुख सचिव।

———

THE Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 13/LXXXI-2–2025-29(13)-2025, dated July 21, 2025 :

No. 13/LXXXI-2–2025-29(13)-2025
Dated Lucknow, July 21, 2025

WHEREAS the land mentioned in the Schedule below has been proposed to be declared as 'protected forest' under the Indian Forest Act, 1927 (Act no. 16 of 1927);

AND, WHEREAS, it has been examined under sub-section (3) of section 29 of the aforesaid Act that no rights of any person are being deprived by declaring the aforesaid land as protected forest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under section 29 of the aforesaid Act, the Governor is pleased to declare the land mentioned in the Schedule below to be 'protected forest' from the date of publication of this notification in the *Gazette* and it is also notified that all rights and privileges conferred on the said land across all seasons under any rules published by the State Government shall continue unabated.

SCHEDULE

District	Tehsil	Pargana	Name of Village	Khasra No.	Area (in Hectares)	Boundary Description
1	2	3	4	5	6	7
Sonebhadra	Obra	Agori	Jogel	5380 Kh mi 5381 mi 5382 K mi 5384 5385 Kha	2.4353 0.3461 10.9227 0.5411 1.3218	**North-**Remaining part of Gata No. 5380, 5381, 5382, 5384, 5385. **South-**Gata No. 5852, 5834, 5829, 5826, 5827, 5825, 5886, 5821 and Remaining part of Gata No. 5382. **East-**Remaining part of Gata No. 5382, 5381 and 5385 and Gata No. 5827, 5386, 5387, 5388, 5389. **West-** Remaining part of Gata No. 5380, 5381, 5382, 5384 and Gata No.5826, 5821.
				Total	**15.567**	

By order,
ANIL KUMAR,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0—ए0पी0 105 राजपत्र—2025—(295)—599+25=624 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।